**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4739**

**20 मार्च 2026 को उत्तर के लिए**

**ईसीएचएस हेतु बजट**

**4739. श्री राहुल गांधी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत बजटीय आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार समग्र बजट आवंटन और कुल बकाया राशि कितनी है तथा प्रतिवर्ष बढ़ रहे नए बकाए कितने हैं और उसमें कितनी कमी है;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की हाल की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ईसीएचएस को अपेक्षित बजटीय आवंटन प्रदान करने में विफलता की ओर ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ईसीएचएस के अंतर्गत बकाया राशि के कारण पूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार से वंचित न किया जाए;

(घ) क्या दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट में कोई अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार का सभी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिव्यांगता पेंशन पर पूर्ण आयकर छूट पुनः प्रदान करने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), पॉलीक्लिनिकों और पैनलबद्ध अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भूतपूर्व-सैनिकों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को नकद-रहित (कैशलैस) व सीमा-रहित (कैपलैस) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करती है। इसके लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विगत कुछ वर्षों में ईसीएचएस के अंतर्गत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों व पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विगत 10 वर्षों हेतु ईसीएचएस के लिए बजटीय आवंटन अनुबंध के तौर पर संलग्न है।

पैनलबद्ध अस्पतालों और वैयक्तिक लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों का प्रसंस्करण एक गतिशील व समय लेने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतः, किसी वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में जनित बिलों का निपटान अगले वित्त वर्ष में होता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ देयताएं आवर्ती रूप से आगे बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वार्षिक ईसीएचएस व्यय वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, निधि प्रवाह में यदा-कदा आने वाली बाधाएं कभी-कभी भुगतान चक्र को प्रभावित कर सकती हैं। संसाधनों के अनुकूलतम प्रबंधन हेतु और संबंधित हितधारकों के समन्वय से मामलों के निपटान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए बाधारहित चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

(घ) से (च) रिट याचिका (सी) सं. 953/2019 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2019 के अनुपालन में सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन के अतिरिक्त लागू/अनुमेय दिव्यांगता मुआवजा प्राप्त कर रहे, दिव्यांगता पेंशन एवं अधिवर्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों से आयकर कटौती नहीं की जा रही है।

अधिसूचना सं. 878-एफ (आयकर) दिनांक 21 मार्च, 1922 के माध्यम से प्रदान किए गए आयकर-अधिनियम, 1922 के अंतर्गत मौजूद फ्रेमवर्क में, सशस्त्र सेना के सदस्यों, जिन्हें सैन्य सेवा पर आरोप्य अथवा इसकी वजह से बढ़े हुए गंभीर कारणों के

परिणामस्वरूप हुई दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो, को दिव्यांगता पेंशन संबंधी छूट प्रदान की जाती रही है। जब आयकर अधिनियम, 1961 प्रभावी हुआ, तो निरसन एवं बचत प्रावधानों के माध्यम से छूट जारी रही।

आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने के साथ ही, आयकर अधिनियम, 1922 से संबंधित पूर्व अधिनियमन और संबंधित बचत प्रावधान प्रवर्तनहीन हो गए। इसलिए, नए अधिनियम में सुस्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में छूट समाप्त हो जाती। वर्तमान प्रावधान, दायरे और शर्तों सहित पहले से ही विद्यमान छूट की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है।

***

**"ईसीएचएस हेतु बजट" के संबंध में दिनांक 20.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4739 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**ईसीएचएस हेतु 10 वर्षों के लिए आवंटित बजट**

| वित्त वर्ष (एफवाई) | बजट (करोड़ में) |
|---|---|
| 2016-17 | 2896 |
| 2017-18 | 3928 |
| 2018-19 | 3198 |
| 2019-20 | 5199 |
| 2020-21 | 5321 |
| 2021-22 | 4870 |
| 2022-23 | 6929 |
| 2023-24 | 9880 |
| 2024-25 | 10928 |
| 2025-26 | 11000* |

* वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित प्राक्कलन के अंतर्गत 3458 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव संसद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।